धारा-85. लाभ का वितरण.- (1) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(2) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति की अंशदत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है जो नियत की जाये।

(3) धारा 58 के उपबन्ध, जहॉ तक वे उपधारा (1) और (2) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति के शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।